"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 571] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 26 सितम्बर 2024 — अश्विन 4, शक 1946

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 सितम्बर 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–6/2022/16. – यतः, सेवाएं या प्रसुविधायें या सहायिकी प्रदान करने हेतु पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी परिदान प्रक्रियाएं सुगम हो जाती हैं, पारदर्शिता एवं दक्षता आ जाती है और लाभार्थी, अपनी पहचान साबित करने के लिये बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त होते हुए सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सीधे अपना हक प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं;

और यतः, श्रम विभाग (जो इसमें इसके पश्चात् विभाग के रूप में निर्दिष्ट है) छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत निर्माण कर्मकारों का पंजीयन एवं पंजीकृत निर्माण कर्मकारों हेतु विभिन्न योजनाएँ संचालित करता है, ताकि निर्माण कर्मकारों का सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण हो सके। यह योजना छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (जो इसमें इसके पश्चात् क्रियान्वयन एजेंसियों के रूप में निर्दिष्ट है) के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है;

अतएव, आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकीयों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (क्र. 18 सन् 2016) (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप करती है, अर्थात्:–

1. (1) योजना के अंतर्गत प्रसुविधायें प्राप्त करने के लिये कोई भी पात्र व्यक्ति अपना आधार संख्यांक का सबूत प्रस्तुत करेगा या आधार का प्रमाणीकरण करवायेगा।

(2) योजना के अधीन प्रसुविधायें प्राप्त करने के इच्छुक किसी व्यक्ति ने, जिसके पास आधार क्रमांक नहीं है या जिन्होंने आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है, से योजना हेतु पंजीयन के पूर्व आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परन्तु यह कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसा व्यक्ति किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की वेबसाइट www uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जाकर आधार के लिए नामांकन कर सकता है।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी क्रियान्वयन अभिकरण (एजेंसी) के माध्यम से उन हितग्राहियों के लिए, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित ना हो, के लिये आधार नामांकन की सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है और संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित न होने की दशा में, विभाग अपने क्रियान्वयन अभिकरण (एजेंसी) के माध्यम से, यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके सुविधाजनक स्थानों पर या यूआईडीएआई के रजिस्ट्रार द्वारा स्वयं आधार नामांकन सुविधायें प्रदान करवायेगाः

परन्तु यह कि किसी भी व्यक्ति को आधार समनुदेशित किये जाने तक, ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेजो के प्रस्तुत कराने के अध्यधीन रहते हुये योजना के अधीन प्रसुविधायें प्रदान की जाएंगी, अर्थात्:–

(क) यदि वह नामाकित है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्,–

(एक) बैंक या पोस्ट ऑफिस की फोटो युक्त पासबुक; या

(दो) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(तीन) पासपोर्ट; या

(चार) राशन कार्ड; या

(पांच) मतदाता पहचान पत्र; या

(छः) मनरेगा कार्ड; या

(सात) किसान फोटो पासबुक; या

(आठ) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी वाहन चालन अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेंस); या

(नौ) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की फोटो युक्त पहचान का प्रमाणपत्र; या

(दस) विभाग द्वारा यथा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच, विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. योजनान्तर्गत हितग्राहियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में, विभाग अपने क्रियान्वयन अभिकरण (एजेंसी) के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा कि हितग्राहियों को उक्त आवश्यकता के प्रति जागरुक कराने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

3. सभी मामलों में, जहाँ लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थात्:–

(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता की दशा में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कैन या फेस प्रमाणीकरण की सुविधा को अपनाया जाएगा, एतद्द्वारा, विभाग अपनी क्रियान्वयन अभिकरण (एजेंसी) के माध्यम से निर्बाध रूप से प्रसुविधाये प्रदान करने के लिए आईरिस स्कैनर या फेस प्रमाणीकरण के साथ–साथ फिंगर प्रिंट प्रमाणीकरण के लिए प्रावधान करेगा;

(ख) उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन या चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोंमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होने की दशा में, जहाँ भी संभव हो एवं आधार वन टाइम पासवर्ड या सीमित समय वैधता के साथ टाइम–आधारित वन–टाइम पासवर्ड, द्वारा प्रमाणीकरण स्वीकार्य हो, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत किया जायेगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में, जहाँ बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम–आधारित वन–टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, योजना के तहत भौतिक आधार पत्र के आधार पर प्रसुविधाऐं दी जा सकती हैं, जिसका प्रमाणीकरण आधार पत्र पर मुद्रित क्विक रिसपोन्स (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है तथा क्विक रिसपोन्स कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था, विभाग द्वारा अपने क्रियान्वयन अभिकरण (एजेंसी) के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध कराई जायेगी।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के क्रम में, योजना के अंतर्गत कोई भी वास्तविक लाभार्थी अपनी उचित प्रसुविधाओं से वंचित न हो, विभाग अपने कियान्वयन अभिकरण (एजेन्सी) के माध्यम से अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेंगे, जैसा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिशन कैबिनेट सचिवालय भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन क्र. D-26011 /04/2017-DBT, दिनाक 19 दिसंबर, 2017 में उल्लिखित है।

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सूर्यकिरण तिवारी, उप सचिव.

अटल नगर, दिनांक 19 सितम्बर 2024

क्रमांक एफ 10–6/2022/16. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19–09–2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सूर्यकिरण तिवारी, उप सचिव.

Atal Nagar, the 19th September 2024

NOTIFICATION

No. F10-6/2022/16. - Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Labour Department (hereinafter referred to as the Department) registers the Construction workers under the Chhattisgarh Building and Other Construction Workers Welfare Board and implements various schemes for the registered Construction workers, so that the social and economic welfare of the construction workers can be achieved. The scheme is being implemented through the Chhattisgarh Building and Other Construction Workers Welfare Board (hereinafter referred to as the implementing agency (ies);

Now, therefore, in pursuance of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of Chhattisgarh, hereby, notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any

Aadhaar enrolment centre (List available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tahsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) If he/she has enrolled, his/her Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely,-

(i) Bank or Post Office passbook with photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) MGNREGA card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tahsildar on an official letter head; or

(x) Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the scheme conveniently, the Department through its implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar one Time password or Time-based-one-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar one Time password or Time-based one-Time password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter, whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient relocations by the Department through its Implementing Agency.

4. In addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the scheme is deprived of her due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India, No. D-26011/04/2017-DBT, dated 19th December, 2017.

This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SURYAKIRAN TIWARI, Deputy Secretary.

अटल नगर, दिनांक 19 सितम्बर 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–6/2022/16. – यतः, सेवाएं या प्रसुविधायें या सहायिकी प्रदान करने हेतु पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी परिदान प्रक्रियाएं सुगम हो जाती हैं, पारदर्शिता एवं दक्षता आ जाती है और लाभार्थी, अपनी पहचान साबित करने के लिये बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त होते हुए सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सीधे अपना हक प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं;

और यतः, श्रम विभाग (जो इसमें इसके पश्चात् विभाग के रूप में निर्दिष्ट है) छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत असंगठित कर्मकारों का पंजीयन एवं पंजीकृत असंगठित कर्मकारों हेतु विभिन्न योजनाएँ संचालित करता है, ताकि असंगठित कर्मकारों का सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण हो सके। यह योजना छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल (जो इसमें इसके पश्चात् क्रियान्वयन एजेंसियों के रूप में निर्दिष्ट है) के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है;

अतएव, आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकीयों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (क्र. 18 सन् 2016) (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 7 के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ सरकार, एतद्द्वारा, निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्: –

1. (1) योजना के अंतर्गत प्रसुविधायें प्राप्त करने के लिये कोई भी पात्र व्यक्ति अपना आधार संख्यांक का सबूत प्रस्तुत करेगा या आधार का प्रमाणीकरण करवायेगा।

(2) योजना के अधीन प्रसुविधायें प्राप्त करने के इच्छुक किसी व्यक्ति ने, जिसके पास आधार क्रमांक नहीं है या जिन्होंने आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है, से योजना हेतु पंजीयन के पूर्व आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परन्तु यह कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसा व्यक्ति किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की वेबसाइट www-uidai-gov-in पर उपलब्ध सूची) पर जाकर आधार के लिए नामांकन कर सकता है।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी क्रियान्वयन अभिकरण (एजेंसी) के माध्यम से उन हितग्राहियों के लिए, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित ना हो, के लिये आधार नामांकन की सुविधाए प्रदान करना अपेक्षित है और संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित न होने की दशा में, विभाग अपने क्रियान्वयन अभिकरण (एजेंसी) के माध्यम से, यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके सुविधाजनक स्थानों पर, आधार नामांकन सुविधायें प्रदान करवायेगाः

परन्तु यह कि किसी भी व्यक्ति को आधार समनुदेशित किये जाने तक, ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेजो के प्रस्तुत कराने के अध्यधीन रहते हुये योजना के अधीन प्रसुविधायें प्रदान की जाएंगी, अर्थात्:–

(क) यदि वह नामाकित है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात् :–

(एक) बैंक या पोस्ट ऑफिस की फोटो युक्त पासबुक; या

(दो) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(तीन) पासपोर्ट; या

(चार) राशन कार्ड; या

(पांच) मतदाता पहचान पत्र; या

(छः) मनरेगा कार्ड; या

(सात) किसान फोटो पासबुक; या

(आठ) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी वाहन चालन अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेंस); या

(नौ) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की फोटो युक्त पहचान का प्रमाणपत्र; या

(दस) विभाग द्वारा यथा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच, विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. योजनान्तर्गत हितग्राहियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में, विभाग अपने क्रियान्वयन अभिकरण (एजेंसी) के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा कि हितग्राहियों को उक्त आवश्यकता के प्रति जागरुक कराने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

3. सभी मामलों में, जहाँ लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थात्:–

(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता की दशा में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कैन या फेस प्रमाणीकरण की सुविधा को अपनाया जाएगा, एतद्द्वारा, विभाग अपनी क्रियान्वयन अभिकरण (एजेंसी) के माध्यम से निर्बाध रूप से प्रसुविधाये प्रदान करने के लिए आईरिस स्कैनर या फेस प्रमाणीकरण के साथ–साथ फिंगर प्रिंट प्रमाणीकरण के लिए प्रावधान करेगा;

(ख) उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन या चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोंमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होने की दशा में, जहाँ भी संभव हो एवं आधार वन टाइम पासवर्ड या सीमित समय वैधता के साथ टाइम–आधारित वन–टाइम पासवर्ड, द्वारा प्रमाणीकरण स्वीकार्य हो, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत किया जायेगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में, जहाँ बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम–आधारित वन–टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, योजना के तहत भौतिक आधार पत्र के आधार पर प्रसुविधाऐं दी जा सकती हैं, जिसका प्रमाणीकरण आधार पत्र पर मुद्रित क्विक रिसपोन्स (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है तथा क्विक रिसपोन्स कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था, विभाग द्वारा अपने क्रियान्वयन अभिकरण (एजेंसी) के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध कराई जायेगी।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के क्रम में, योजना के अंतर्गत कोई भी वास्तविक लाभार्थी अपनी उचित प्रसुविधाओं से वंचित न हो, विभाग अपने क्रियान्वयन अभिकरण (एजेन्सी) के माध्यम से अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेंगे, जैसा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिशन कैबिनेट सचिवालय भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन क्र. D-26011 /04/2017-DBT, dated 19th December, 2017, दिनाक 19 दिसंबर, 2017 में उल्लिखित है।

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सूर्यकिरण तिवारी, उप सचिव.

अटल नगर, दिनांक 19 सितम्बर 2024

क्रमांक एफ 10–6/2022/16. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19–09–2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सूर्यकिरण तिवारी, उप सचिव.

Atal Nagar, the 19th September 2024

NOTIFICATION

No. F10-6/2022/16. - Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Labour Department (hereinafter referred to as the Department) registers the unorganized workers under the Chhattisgarh Unorganized Workers State Social Security Board and implements various schemes for the registered unorganized workers, so that the social and economic welfare of the unorganized workers can be

achieved. The scheme is being implemented through the Chhattisgarh Unorganized Workers State Social Security Board (hereinafter referred to as the implementing agency (ies);.

Now, therefore, in pursuance of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of Chhattisgarh, hereby, notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (List available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) If he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely,-

(i) Bank or Post Office passbook with photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) MGNREGA card, or

(vii) Kisan Photo passbook, or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tahsildar on an official letter head; or

(x) Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the scheme conveniently, the Department through its implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar one Time password or Time-based-one-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar one Time password or Time-based one-Time password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter, whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient relocations by the Department through its Implementing Agency.

4. In addition to the above, in order to ensure that no bona fide beneficiary under the scheme is deprived of her due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India, No. D-26011/04/2017-DBT, dated 19th December, 2017.

This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SURYAKIRAN TIWARI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2024.